न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी	:	संजू मीणा, RAS
प्रकरण संख्या	:	45/2025
दायर दिनांक	:	23.06.2025
निर्णय दिनांक	:	20.01.2026

1. अमरसिंह पुत्र गंगासहाय जाति गुर्जर, निवासी बीरासना तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
2. रामसिंह पुत्र गंगासहाय जाति गुर्जर, निवासी बीरासना तहसील भाण्डारेज जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर ग्राम बीरासना तहसील भाण्डारेज स्थित आराजी खसरा नम्बर 413 रकबा 0.07 है० की पत्थरगढी करवाने का अनुतोष चाहा गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार भाण्डारेज ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रश्नगत आराजी में आबादी बसी हुई है। प्रश्नगत आराजी का दिनांक 31.05.2025 को सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन/वाद नहीं है। प्रश्नगत आराजी के मौके की स्थिति विवादित हैं प्रश्नगत आराजी पर प्रार्थी खातेदार का कब्जा नहीं है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाने का अनुतोष चाहा गया है। मुताबिक जवाब तहसीलदार भाण्डारेज प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने, प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान होने एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बीरासना तहसील भाण्डारेज स्थित खसरा नम्बर 413 रकबा 0.07 है० का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। पालनार्थ तहसीलदार भाण्डारेज को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दौसा
दौसा (राज०)